अधिसूचना

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 3811–3920/भवन निर्माण(197ए)/15 दिनांक 30.06.2011 के माध्यम से **''मृत्यु एवं अन्त्येष्टि योजना''** अधिसूचित की गयी है।

तत्क्रम में प्रस्तावित संशोधनों पर शासन द्वारा प्राप्त अनापत्ति संख्या–503/छत्तीस–2–2015–41/2011, दिनांक 13.05.2015 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली **''मृत्यु एवं अन्त्येष्टि योजना''** के अन्तर्गत निम्न संशोधन किये जाते हैः–

1. प्रस्तर–1, योजना का नामः– '' निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना''
2. प्रस्तर–4, हितलाभः– मृत्यु के सभी प्रकरणों– चाहे वह कार्यस्थल पर घटित दुर्घटना के कारण कारित हुई हो या फिर किसी अन्य स्थान पर अन्य प्रकार से कारित हुई हो– में समान रूप से मृतक पंजीकृत निर्माण श्रमिक के आश्रितों को रु. 15000/– (रु. पन्द्रह हजार मात्र) की सहायता दी जायेगी।
   स्पष्टीकरण– लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में हितलाभ का भुगतान प्रथमतः मृतक पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पत्नी/पति (जैसी स्थिति हो) द्वितीयतः अवयस्क पुत्र एवं पुत्री/अविवाहित पुत्री को उनके उपलब्ध न होने पर माता/पिता को और अन्ततः वयस्क पुत्र/विवाहित पुत्रियों को किया जाएगा।

तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(एस.डी. शुक्ल)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांकः 713–20/भ0नि0बो0(197ए)–2015 दिनांकः– 08.05.2015

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. वित नियंत्रक, बोर्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. श्रमायुक्त, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।
6. प्रमुख सचिव(श्रम)/अध्यक्ष, बोर्ड।
7. गार्ड फाइल।
8. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या : 503/छत्तीस–2–2015–41/2011, दिनांक 13.05.2015 के क्रम में सूचनार्थ।

भवदीय

(आर0पी0 गुप्ता)
उपश्रमायुक्त, बोर्ड।